

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल—म.प्र.

क्र. सूअप्र/संतशि/10/

भोपाल दिनांक

प्रति,

श्री अशोक गोखलामी  
राजस्थान के  
म.प्र. कार्यसमिति मजदूर कॉम्प्रेस (इण्टक) ग्या०,  
माधव डिस्पैसरी के सामने,  
ललितपुर कालोनी, लक्ष्मण  
ग्यालियर — म.प्र. 474 009

विषय— सूचना का अधिकार अधिनियम—०५ के तहत जानकारी प्रदाय करने वाला।

संदर्भ—आपका आवेदन दिनांक 10.08.2010(कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 19.08.2010)।

विषयात्मक सदर्भित आवेदन के माध्यम से आपके हाथारा 03 बिंदुओं पर चाही गई जानकारी के सबूत में लेख है कि रोपा भर्ती नियम 2004 की छायप्रति संलग्न है, जिसमें उल्लेखित संघ की शर्तों के अतर्गत पात्र अवकाश के सबूत में उल्लेख किया गया है। सी.पी.एफ. के सबूत में राज्य शासन की अधिसूचना, भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधाननुसार सी.पी.एफ. कटौत्री के लिये किये गये आदेश की प्रति, भविष्य निधि अधिनियम एवं म.प्र. अधिनियम की प्रति उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

२/- जानकारी से उत्तुष्ट होने की रिप्टि में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है :-

| प्रथम अपील  | समय-सीमा                                 | द्वितीय अपील  | समय-सीमा                                 |
|---|--|---|--|
| संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल। | विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग निवार्धन भवन, द्वितीय मंजिल — ५८ अरेंज हिल्स, भोपाल—४६२ ०११(म.प्र.) | विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर |

संलग्न : उपरोक्तानुसार (106 पृष्ठ)

लोक सूचना अधिकारी  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.  
भोपाल — मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र. सूअप्र/संतशि/10/८३२

भोपाल दिनांक 6/10/10

प्रतिलिपि : कम्प्यूटर प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अप्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.  
भोपाल — मध्यप्रदेश